–::–छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन–::–

प्रधान कार्यालय, N–3 अवंति बिहार मेन रोड रायपुर

क्रमांक/छगवेका/निर्माण/2014–15/12703 रायपुर,दिनांक 30.09.2014

निविदा आमंत्रण सूचना

छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन के द्वारा राज्य के विभिन्न स्थानों पर संचालित भण्डारगृह शाखाओं में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक पिटलेस धर्मकांटों जिनका विवरण भण्डारगृह शाखावार Annexure-VI 'अ' पर है, तौल कार्य की निरंतरता एवं सुग्राहकता को बनाये रखने के प्रयोजनार्थ रखरखाव एवं मरम्मत कार्य हेतु काम्प्रीहेन्सिव दरें वार्षिक अनुबंध के अन्तर्गत निविदा के माध्यम से एक वर्ष हेतु आमंत्रित की जाती हैं। **निविदा फार्म निगम की वेबसाईट www.cgswc.gov.in से प्राप्त करें।**

कार्यालय में निविदा स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से भेंजे/मुख्यालय उपस्थित होकर आवक शाखा में जमा किये जाने की **अंतिम तिथि 31.10.2014 समय सायं 05 बजे।**

क्र0	विवरण	धर्म कांटों की संख्या	निविदा प्रपत्र की राशि रू0	अमानत राशि रू0	रिमार्क
01	धर्मकांटा का शाखावार विवरण **ANNEXURE –IV,** का (अ),(ब)	30	1000.00	50000.00	

शर्तेः–

1. निविदा फार्म के Annexure-VI के 'अ' अनुसार 30 धर्मकांटो का वार्षिक मरम्मत कार्य एवं Annexure-VI के 'ब' अनुसार शाखाओं पर धर्मकांटा स्थापना कार्य के ठेकेदारों की मरम्मत तिथि समाप्त होने के बाद, किये गये अनुबंध के अंतर्गत दी गई, प्रति धर्मकांटा दर पर मरम्मत रखरखाव कार्य किया जायेगा।
2. समस्त निविदायें मात्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से ही स्वीकार किये जायेंगे, अन्य माध्यमों से प्रस्तुत निविदायें स्वीकार नहीं किये जायेंगे। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त निविदायें अमान्य की जायेगी।
3. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
4. निविदा प्रपत्र, चार लिफाफों पद्धति में प्रस्तुत की जावे। **A लिफाफा** में ''अमानती राशि'' डिमांड ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. (अमानत राशि की डिमांड ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. के माध्यम से जमा की जावे, जो प्रबंध संचालक छ0ग0स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन के नाम से देय हो एवं राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी की गई हो) रखकर सील बंद कर लिफाफे के उपर, उस पर कार्य का नाम अमानत राशि का विवरण लिखा जावें, **B लिफाफा** में दस्तावेज रखकर सील बंदकर लिफाफे के उपर कार्य का नाम व दस्तावेज लिखा जावे, **C लिफाफा** में ''निविदा फार्म'' रखकर सील बंदकर लिफाफे के उपर कार्य का नाम लिखा जावे। अतः **A**, **B** एवं **C** लिफाफों को, **चतुर्थ बड़े लिफाफे** में डालकर सील बंदकर लिफाफे के उपर कार्य का नाम लिखा जावें एवं पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट निगम के मुख्यालय पतें छ0ग0स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, एन–3, अवंति विहार रायपुर पर भेजा जाये।
5. प्राप्त निविदायें उपस्थित ठेकेदारों के या उनके प्रतिनिधी जो भी उपस्थित हो उनके समक्ष निर्धारित तिथी को खोली जावेगी। प्रथम लिफाफा अमानती राशि का खोला जावेगा, अमानती राशि निविदा अनुसार या अधिक होने पर, दूसरा लिफाफा दस्तावेजों का खोला जावेगा। प्रस्तुत दस्तावेज सही होने पर तीसरा लिफाफा प्राईज बिड का खोला जावेगा।
6. किसी अप्रत्याशित कारण से निविदा खोलने की निर्धारित तिथि को अवकाश घोषित हो जाने पर निर्धारित तिथि एवं समय आगामी कार्य दिवस हेतु स्वतः बढ़ी मानी जावेगी एवं निविदा में किसी प्रकार का संशोधन किये जाने पर संशोधन सूचना निगम की वेबसाईट **www.cgswc.gov.in** पर देखी जा सकती है।
7. कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाना आवश्यक है।
8. ठेकेदारों एवं फर्मो के ठेकेदार जो दो या अधिक प्रतिष्ठानों में कोई व्यक्ति प्रोपराईटर या पार्टनर है, इनमें से ठेकेदार/फर्म/पार्टनर में से ही निविदा में भाग लेवें। ऐसे ठेकेदार/फर्म/पार्टनर, द्वारा अलग अलग एक ही कार्य की निविदा में भाग लिया जाता है तो उन निविदा पर विचार न कर अमानत राशि राजसात की जायेगी।
9. निगम के प्रबंध संचालक को किसी भी निविदा अथवा सभी निविदायें स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।
10. निविदा प्रस्तुत किये जाने दिनांक तक, जिन ठेकेदारों का निगम से किसी प्रकरण में विवाद हो, लिये गये कार्य को अधूरा छोड़ दिया गया हो, निगम द्वारा जिन्हें **(Black Listed)** काली सूची में डाला गया हो एवं अन्य किसी विभाग में निविदा डाले जाने हेतु प्रतिबंधित किया हो, काली सूची **(Black Listed)** में हो, वे ठेकेदार निविदा में भाग लेने से प्रतिबंधित रहेंगें। ऐसे ठेकेदार निविदा में भाग लेते है तो उनकी अमानत राशि राजसात की जायेगी और शपथ पत्र में झुठी जानकारी दिये जाने पर भी अमानत राशि जब्त की जायेगी।
11. शासन द्वारा जो टैक्स लगाये गये है व भविष्य में जो टैक्स लगाये जायेंगे। नियमानुसार टैक्सों की कटोत्री देयक से की जायेगी। सर्विस टैक्स जमा करने की संपूर्ण जवाबदारी स्वयं ठेकेदार की होगी, निगम द्वारा सर्विस टैक्स से संबंधित कोई भी दावा स्वीकार नही किया जायेगा।
12. किसी भी बिड या समस्त बिड अथवा निविदा को बगैर कारण बताये निरस्त करने के संपूर्ण अधिकार निगम के प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेंगे।
13. उपरोक्त समान्य शर्ते निविदा अनुबंध का भाग है।

कार्यपालन अभियंता